

प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 24.10.2026,

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में दिनांक 23.10.2026 को थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री संदीप तिवारी द्वारा पुलिस टीम के साथ स्वयं गिरफ्तारी करते हुए कुसुमी रेलवे फाटक के पास से थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0531/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मो0 आरिफ उर्फ सलमान पुत्र मो0 हुसैन निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमों में भी नाम प्रकाश में आया था। मु0अ0सं0 107/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 531/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 913/2021 धारा 323, 504, 506, 352 भा0द0वि0, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 107/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री संदीप तिवारी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।
2. का0 गौरव यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

3. का0 आदितेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री अलंकार यादव मय हमराह रि0का0 शुभम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.10.2026 को मान्धाता हनुमान मंदिर से पहले से मु0अ0सं0 88/2026 धारा 125(ख)/105/281 बीएनएस व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र संदीप कुमार निवासी राय का पुरवा, संसारपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

सतीश कुमार पुत्र संदीप कुमार निवासी राय का पुरवा, संसारपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अलंकार यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।
2. रि0का0 शुभम, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़-

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा विद्युत अधिनियम के मुकदमे में वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों एवं वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत गैर जमानती वारण्ट (NBW) के अनुपालन में 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 23/2018 धारा 135 विद्युत अधिनियम से संबंधित वारण्टी गिरीशचन्द्र (उम्र करीब 60 वर्ष), निवासी थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 24.10.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़:

उ0नि0 शिवपाल सिंह मय हमराह का0 अश्वनी खरवार,रि0का0 सौरभ तिवारी,रि0का0 विवेक कुमार, म0का0 नीतू शर्मा

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के संबंध में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम मय हमराह का0 अतुल कुमार दूबे व का0 विकास यादव द्वारा ग्राम रतिपुर में दबिश देकर मा0 न्यायालय अपर जिला जज, कक्ष संख्या-02, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त सुखराम पुत्र रामसनेही, उम्र करीब 62 वर्ष, निवासी ग्राम रतिपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुखराम उपरोक्त के विरुद्ध ओल्ड कम्प्लेंट सेशन केस संख्या 2279/2026, राज्य बनाम सुखराम, अपराध संख्या 20/2026, धारा 110/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. का0 अतुल कुमार दूबे, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. का0 विकास यादव, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।